

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कक्षा 1 से 10 तक के छात्र/ छात्राओ के लिए छात्रवृत्ति
आवेदन पत्र

1-छात्र/छात्रा का पूरा नाम*.....

2- जन्मतिथि*.....

3-लिंग*: बालिका बालक

4-धर्म*.....

5-समुदाय / श्रेणी*.....

6- पिता का नाम*.....

7- माता का नाम*.....

8- अभिभावक की वार्षिक आय (अंको में) *

9-आधार क्रमांक*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10- मोबाईल न0(केवल एक न. ही लिखें)

11-ई-मेल आईडी0.....(यदि उपलब्ध हों)

12-डे-स्कॉलर/होस्टलर.....

13-विद्यालय का नाम*

14-वर्तमान कक्षा / पाठ्यक्रम.....

15-पिछली कक्षा एवं वर्ष*.....

16-शिक्षा की प्रणाली* (संस्थागत).....

17-वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि*

18-पिछली कक्षा उत्तीर्ण प्रतिशत(%)*.....

आवेदक का
पासपोर्ट साईज
फोटो

19-प्रवेश शुल्क*

20-शिक्षण शुल्क*

21-त्रिविध शुल्क (प्रवेश / शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य राशि)*

22-क्या छात्र/छात्रा अनाथ है? *

23- क्या छात्र/छात्रा दिव्यांग है?*

दिव्यांगता का प्रकार

अंधापन दृष्टीबाधित कुष्ठ रोग बहरापन शारीरिक अक्षमता

मानसिक मंदता मानसिक बीमारी

24-दिव्यांगता का प्रतिशत(40%से अधिक होना चाहिये) *

25-वैवाहिक स्थिति*(विवाहित/अविवाहित).....

26-माता-पिता का व्यवसाय

बैंक की जानकारी

27-बैंक का नाम *

28-बैंक शाखा का नाम*

29-आई0एफ0एस0सी *

30-बैंक खाता संख्या*

पत्राचार का पता

31-जिले का नाम*

32-ब्लॉक का नाम*

33-मकान नं०*

34-पिन कोड*

घोषणा :

(1) मैं एतत द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही एवं सत्य है, मुझे किसी अन्य स्रोत से दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है, यदि दूसरी छात्रवृत्ति मिली तो तुरंत वापस करूंगा/करूंगी। भविष्य में कोई भी सुचना असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार कि वैधानिक कार्यवाही करने के लिये विभाग स्वतंत्र है तथा विभाग द्वारा लिए गए निर्णय मुझ पर बाध्यकारी होंगे।

(2) मैं अपना आधार संख्या तथा नाम को समाज कल्याण विभाग द्वारा सुरक्षित करने तथा UIDAI के साथ सत्यता की पुष्टि करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ।

छात्र/छात्रा के माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

35- आवेदन के साथ सलग दस्तावेजों की सूची:-

- I. छात्र/छात्रा के माता/पिता/अभिभावक का मूल आय प्रमाणपत्र।
- II. छात्र/छात्रा का मूलनिवास/जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति (एससी/एसटी/ओबीसी छात्र/छात्राओं के लिए)।
- III. छात्र/छात्रा का दिव्यांगता का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र।
- IV. छात्र/छात्रा या माता/पिता/अभिभावक के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

नोट- छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर जाँच हेतु सुरक्षित रखा जायेगा। विद्यालय स्तर से समाज कल्याण विभाग को केवल छात्रों की ऑनलाईन छात्रवृत्ति सूची एवं छात्रवृत्ति की प्रमाणित सूची (हार्डकॉप) सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

आवश्यक निर्देश:-

1. कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत एससी/एसटी छात्र/छात्राओं के माता/पिता/अभिभावक के लिए वार्षिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है तथा कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत एससी/एसटी छात्र/छात्राओं के लिए वार्षिक आय रु०2, 00,000 निर्धारित है।
2. कक्षा 3 से 10 में अध्ययनरत ओबीसी छात्र/छात्राओं के माता/पिता/अभिभावक के लिए वार्षिक आय की सीमा रु० 44,500/- निर्धारित की है।
3. कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए वार्षिक आय रु० 24,000/- निर्धारित की है।
4. छात्र/छात्रा के बैंक के पासबुक अथवा आधार में दर्ज नाम छात्रवृत्ति आवेदन में दर्ज नाम का सही मिलान होना चाहिए अन्यथा आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।
5. छात्र/छात्रा का आधार क्रमांक आवश्यक है, बिना आधार क्रमांक के आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं होगी।